

कार्यालय प्रमुख अभियंता बोधी
ब्यूरो आफ डिजाइन, जल संसाधन विभाग
कोलार लिंक रोड कमांक-3 भोपाल
भोपाल

पत्र कमांक / 3259 / 373 / नहर / बोधी /

प्रति,

दिनांक 3 / 08 / 12

मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग

- विषय:- नवीन वृहद तथा मध्यम एवं बहुदेशीय परियोजनाओं की डी.पी.आर प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश !
- संदर्भ:- 1- MOPRO शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय का आदेश कमांक एफ -22/6/11/ल.सिं /साध्यता/ 31/6/11/दिनांक 16.4.2011
- 2 इस कार्यालय का पत्र कमांक 2897/बोधी/नहर/373/भोपाल दिनांक 2.8.11
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल का पत्र कमांक 3222391/आई.एम.पी./10 दिनांक 21.10.2010

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत नवीन वृहद तथा मध्यम एवं बहुदेशीय परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने हेतु सी. डब्लू.सी., ब्यूरो आफ इन्डियन स्टैन्डर्ड तथा जल संसाधन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। डी.पी.आर. बनाने हेतु विभिन्न अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाकर आवश्यक अध्ययन कर डिजाइन, ड्राईंग बनाकर डी.पी.आर. तैयार की जाती है। अतः इस कार्य से संबंधित संलग्न सूची में बताये अनुसार सभी दस्तावेजों का मूल रिकार्ड जैसे फील्ड बुक, लेवलबुक, प्रापर्टी सर्वे से संबंधित रजिस्टर आदि रिकार्ड तथा कोर्स [Cores] सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर मूल रिकार्ड का अवलोकन किया जा सके !

यदि डी पी आर बनाने का कार्य किसी एजेंसी, संस्था/ टेकेंदार से कराया गया है तो उनसे भी उपरोक्तानुसार मूल दस्तावेज एवं कोर्स [Cores] प्राप्त कर सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति निर्मित न हो। कृपया प्रकरण को गंभीरता से लेने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची दी प्रतियों में।

मुख्य अभियंता,
बोधी, जल संसाधन विभाग
भोपाल

भोपाल दिनांक 3 / 08 / 12

पृष्ठांकन कमांक / 3260

/ 373 / नहर / बोधी /

प्रलिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव महोदय, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ
 - 2- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ !
 - 3- अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल, रामार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4- संचालक दर एवं लागत की ओर सूचनार्थ !
 - 5- संचालक बांध की ओर सूचनार्थ !
- सहपत्र:- उपरोक्तानुसार सूची दी प्रतियों में।

मुख्य अभियंता,
बोधी, जल संसाधन विभाग
भोपाल

Details Of The Records Required For Preparation Of Detailed Project Reports, Of Irrigation & Multipurpose River Valley Project.

1. Collection of data:-

- a) Rainfall data, runoff data.
- b) Agriculture statics of the command.
- c) Village map & khasara records.

2. Surveys:-[as per cwc guideline Anx -1(a)]

- a) Dam line survey.
- b) Basin survey.
- c) Submergence & property survey.
- d) Canal survey (main, dist, Branch & minors including water distribution system)
- e) Command survey.
- f) Soil survey of command (As per Is 5510)
- g) survey of nalla /river for each canal structure this include catchments survey, nalla bed survey and X-section of nalla.
- h) Quarries' survey for materials(as per Anx-2.of cwc guideline)
- i) Survey (detail & sample) of area of the command for OFD & drainage work.
- j) Survey for soil conservation.
- k) Other surveys e.g. ecological, communications etc.

3. Investigations:- As per cwc guideline Anx-1(b)

- a) Cores obtain from drilling operation and cores should be preserved as per departmental guidelines.
- b) Foundation investigation for Dam, Barrage and Canal structures and all other important structures (geological investigation).. Drilling of bore holes.
- c) Opinion latter of geological survey of India in original for finalization of structure (dam canal etc.)
- d) Reservoir.
- e) Region as a whole
- f) Any other e.g. seismic investigation
- g) Record of the Auger bore holes and trial pits.

4. Certificate of director agriculture in original for approval of cropping pattern.
5. Survey report of submergence related to joint visit of water resources & forest officer for forest clearance report.
6. consent from janpad panchayat for execution of project.
7. certificate of collector that villager ready to pay the water rates.
8. Environment & ecological clearance report.
9. Details of alternate studies for finalization of dam & canal and their alignment.
10. Demand latter for demand of water for water supply and industrial use ~~From competent~~ authority.
11. Approval latter for alignment of dam and canal network system from competent authority.
12. Approved latter for the fixation of the principal levels.
13. Suitability test results of materials.


Chief Engineer
(BODHI)